लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
विस्तृत विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था. 02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के संभाग संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑन–लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। विज्ञापित पदों की आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ, आयु सीमा, आरक्षण, पाठ्यक्रम एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार है :–

शिक्षक ई संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–08)

क्र.	संभाग	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		योग	दिव्यांग हेतु आरक्षित
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	सरगुजा	84	49	43	14	224	96	43	23	576	23
2	बस्तर	41	21	31	17	268	110	34	14	537	19
	योग	**125**	**70**	**74**	**31**	**492**	**206**	**77**	**37**	**1113**	**42**

शिक्षक टी संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी (वेतन मेट्रिक्स लेवल–08)

क्र.	संभाग	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		योग	दिव्यांग हेतु आरक्षित
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	सरगुजा	339	149	85	35	993	419	181	72	2273	134
2	बस्तर	214	104	72	32	1177	516	192	79	2386	136
	योग	**553**	**253**	**157**	**67**	**2170**	**935**	**373**	**151**	**4659**	**270**

टीप : उपरोक्त पदों में वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गये पद समाहित है।

1. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें :–** सीधी भर्ती में अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी–

   (एक) आयुः–

   (i) 01 जनवरी, 2023 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(ii) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(iii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(iv) निःशक्त व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

(v) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगीः–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयक समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि 1 से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(vi) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः– "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया होः–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

  (क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

  (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो;

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(4) अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(vii) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(viii) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ix) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(x) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (ङ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्यागपत्र देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थियों के चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02 जून 2004 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षाकर्मियों/पंचायतकर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष

शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को 1 वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी।

(xii) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(xiii) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

2. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँः–** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक हैः–

(क) स्नातक में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण

एवं

(ख) डी.एड. या बी.एड. या बी.एल.एड. उत्तीर्ण

तथा

(ग) टी.ई.टी. उत्तीर्ण (उच्च प्राथमिक स्तर)

3. **निरर्हताएं :–**

(i) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

(ii) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यदि शासन को यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या

शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये :

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझें, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।

(vi) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद लिए पात्र नहीं होगा।

(vii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताएँ, अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगी।

4. अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :–

(i) चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा हेतु प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(ii) चयन प्रकिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में

कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

5. **पदों हेतु आरक्षण :-**

(i) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रं. 21 सन 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ii) छत्तीसगढ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर और प्रभागवार होगा। नियम के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त, दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के लिए पदों को, शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का सं. 49) एवं इसके तहत बनाए गए नियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार पदों का आरक्षण, 7 प्रतिशत रहेगा।

6. **चयन सूची :-**

(i) चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा किया जायेगा। परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट https://vyapam.cgstate.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

(ii) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची, जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।

(iii) प्रतीक्षा सूची की वैधता 01 वर्ष के लिए वैध रहेगी।

(iv) चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले की होगी उसका चयन किया जायेगा।

(v) अन्य सभी पूर्व वर्णित अर्हताएँ पूर्ण करने वाले स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदाय किया जायेगा तथा इन अतिथि शिक्षकों को कार्य के प्रत्येक वर्ष के लिये 2 बोनस अंक (10 अधिकतम बोनस अंक) प्रदाय किये जायेंगे, ये अंक व्यापम द्वारा ली गई परीक्षा में प्राप्त कुल अंको में जोड़े जायेंगे एवं तद्नुसार अपडेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, परन्तु संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय से कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पश्चात् ही बोनस अंक देय होंगे।

7. परिवीक्षा :–

(i) चयनित अभ्यर्थियों को वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जावेगा। वित्त निर्देश 21/2020 अनुसार परिवीक्षा अवधि पर उन्हें निम्नानुसार स्टाईपेन्ड देय होगा :–

प्रथम वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे।

(ii) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियोक्ता द्वारा परिवीक्षा अवधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(iii) परिवीक्षा अवधि की कालावधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में यदि शासन की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी, अधिकारी बनने के योग्य न हो, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

(iv) परिवीक्षाधीन अवधि में स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति से अन्यत्र पदस्थापना नहीं की जा सकेगी।

8.अन्य निर्देश :–

(i) विज्ञापित पदों में वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गये पद समाहित है।

(ii) पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

(iii) शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की पदस्थापना केवल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में की जावेगी।

(iv) अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है।

(v) चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगें।

(vi) मेरिट सूची व्यापम द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर तैयार की जायेगी।

(vii) व्यापम द्वारा तैयार मेरिट सूची में बोनस अंक निर्धारण उपरांत एवं अन्य वांछित अर्हताओं के पूर्ण होने की शर्त पर चयन की प्रक्रिया की जायेगी।

(viii) मेरिट क्रम अनुसार चयन प्रक्रिया हेतु राज्य शासन की संस्था **Chhattisgarh Infotech Promotion Society** (CHiPS) का तकनीकी सहयोग लिया जा सकेगा। **CEO,** CHiPS प्रक्रिया की देखरेख करेंगे।

(ix) पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 यथा संशोधित अनुसार की जायेगी।

(x) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(xi) ऑन–लाईन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम/निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति अमान्य/निरस्त किया जा सकेगा।

(xii) नियुक्त उम्मीदवारों को उनके पद नाम के सम्मुख अंकित वेतन मेट्रिक्स के साथ–साथ राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(xiii) अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षा–फल जारी होने की तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। व्यापम द्वारा परीक्षा–फल जारी होने की तिथि के पश्चात् प्राप्त अर्हता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगे।

(xiv) अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/आरक्षण) का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(xv) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(xvi) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं अथवा किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xvii) युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि, दोहरी उपाधि के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क.फा.सं. 4–1/2022 (IC) दिनांक 02 मई 2022 के विनियम के अधीन होगी।

(xviii) एक ही वर्ष में दो डिग्री के संबंध में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका WPS No. 209 of 2020 व अन्य याचिका में दिये गये निर्णय के अनुसार होगा।

(xix) संभाग/जिले की चयन प्राथमिकता कम, परीक्षा फार्म भरते समय ही परीक्षार्थी को करनी होगी। भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा।

(xx) व्यापम की मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना एवं अन्य जानकारी विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन दी जायेगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से विभाग के पोर्टल का अवलोकन करते रहेंगे।

(xxi) परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जायेगी।

(xxii) (अ) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जायेगा, जिसे व्यापम/नियोक्ता ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:–

(एक) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(दो) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(तीन) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(चार) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(पांच) चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(छः) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(सात) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(आठ) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(नौ) प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल है, का उल्लंघन किया हो या

(दस) परीक्षा कक्ष में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(ग्यारह) परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(ब) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये ज़ाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा चयन के लिए अभ्यर्थिता भी निरस्त की जा सकेगी।

04.05

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़